

प्रमुख,

श्री अशोक नायडू,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान

देवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग सं-2 संयुक्त सं-2,
प्रतिनिधित्व नई दिल्ली।

विभाग 171 अनुभाग

पञ्जाब्द: दिनांक: 9 जुलाई, 1976

विषय:- विद्यार्थी एकाडेमी एंडर मेकन ओक टिप्स स्टेट मूवी स्टाम्पों की
देहरादून की सीओओएसओ नई दिल्ली से सम्बन्धित है, जहाँ पर
यह दिने जाने के लिए है।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश प्राप्त है कि विद्यार्थी
एंडर मेकन ओक टिप्स स्टेट मूवी स्टाम्पों की देहरादून की सीओओएसओ नई
दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान की जाने में इस राज्य सरकार को नियमितता प्रदान
के अधीन आयोजित नहीं है :-

- 1- विद्यार्थी की पंजीकृत सीतावली का समय समय पर नवीनीकरण करता
आयेगा।
- 2- विद्यार्थी की प्रमुख समिति में विद्यार्थी विभाग द्वारा नामित एक
सदस्य होगा।
- 3- विद्यार्थी में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न जातियों के लिए
निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद से/वैयक्तिक शिक्षा
परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विद्यार्थी की सम्बन्धित केन्द्रीय
माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैयक्तिक शिक्षा परिषद से अग्रिम रूप से सीओओएसओ
सम्बन्धित नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों
से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मांगता तथा राज्य
सरकार से अनुदान स्थान: समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था शिक्षक से शिक्षितार कर्मचारियों को राज्यीय स्तर पर प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों
से कम वेतनमान तथा अन्य मर्तबों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा में काली जायेगी और उन्हें सामान्य प्राप्त
अंतराधीन प्रकार माध्यमिक विद्यार्थी के कर्मचारियों की अनुसूचित
क्षेत्रों तथा अन्य भागों से कम वेतनमान तथा अन्य मर्तबों नहीं दिये

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिक्तार्थ निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा ।

9- उक्त प्रपत्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि आदेश दि. कि 30-11-91 द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों में से अन्तिम प्रतिबन्ध 'उत्तरीय प्रतिबन्धों' में शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्तन/संशोधन न किया जायेगा । का तत्वादेश करे शास्त्रालय की अधिकृत प्रति शासन को आगामी तीन माह के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी ।

संस्था को संबद्धता देने के पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित कर ली जाय :-

111 विद्यालय में अनुशिक्षित अध्यापक कार्यरत नहीं है ।

121 विद्यालय में सभी अध्यापकों और अध्यापिकाओं का वेतन मुक्तान बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है

131 विद्यालय में कानून मंत्री के रूप में कोई धरारांगी नहीं ली जा रही है ।

4- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जा ता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है प्रपत्र पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या गिथिता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामरित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

अपरोप,

अशोक गोस्वामी
संयुक्त सचिव ।

फ़ॉर्म 2159111/15-7-1996 तद्विनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, मधुबनी ।

2- मधुबनी संयुक्त शिक्षा निदेशक पांडौ गढ़वाल ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।

4- निरीक्षक, आंगम भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, मधुबनी ।

5- मुख्यक, विरून् एकाडेमी कटर कानून ग्रीक शिक्षा स्टेट मधुरी हापवकी रोड, देहरादून ।

अशोक गोस्वामी
संयुक्त सचिव ।